International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-9, Issue-5 Sep - Oct – 2022
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

हिन्दी भाषा की सन्दर्भित भावी सम्भावनाये

दुर्गेश कुमार शर्मा
शोधार्थी
हिन्दी विभाग
मालवांचल विश्वविद्यालय
इन्दौर, म०प्र०

डा० शोभा रतूड़ी
शोध निर्देशिक
हिन्दी विभाग
मालवांचल विश्वविद्यालय
इन्दौर, म०प्र०

सारांश

हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा के साथ साथ हमारे प्रदेश की आत्मा भी है। इसमें हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है। यह हमारे स्वाभिमान और आत्म सम्मान की शक्ति है। इसी कारण स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे संविधान में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ हिन्दी भाषा के प्रसार प्रचार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

कुंजी शब्द— हिन्दी भाषा, सन्दर्भित, सम्भावनायें

प्रस्तावना

हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा के साथ साथ हमारे प्रदेश की आत्मा भी है। इसमें हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है। यह हमारे स्वाभिमान और आत्म सम्मान की शक्ति है। इसी कारण स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे संविधान में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ हिन्दी भाषा के प्रसार प्रचार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

वस्तुतः हिन्दी प्रसार की प्रमुख संस्थायें हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा के अतिरिक्त रेडियो, दूरदर्शन, इण्टरनेट, सोशल मीडिया, सूचना विभाग आदि के माध्यमों से रेडियो एवं अन्य समस्त प्लेटफॉर्म अपने कार्यक्रमों को प्रसारित कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता से पूर्व अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं, राजनेताओं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी भाषा का प्रचार प्रसार होता रहा है। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे संविधान में हिन्दी भाषा को गौरव प्रदान करने के साथ साथ हिन्दी प्रचार प्रसार के लिए सरकारी कार्यालयों और भारतीय दूतावासों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जिसमें विदेशों में भी हिन्दी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है।

अतः हिन्दी भाषा की सम्भावनायें एवं भविष्य के विषय को निम्न रूपों में अध्ययन किया जा सकता है-

भारतीय भाषायें एवं हिन्दी

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखिति सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें हैं। अत: संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय भाषाओं और हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा क्योंकि अंग्रेजी देश को दो हिस्सों में बांटती है जैसे एक अभिजात एवं दूसरी आम जनता।

हिन्दी और भारतीय भाषाओं में कोई विरोध नहीं है। सभी भारतीय भाषायें राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय सम्मान को उजागर करती हैं।

इस सम्बन्ध में इस बात को राष्ट्रीय भावना से जोड़ा जाता है। यह सारे राष्ट्रीय मूल्यों एवं लक्ष्यों की उपेक्षा करके उसे नौकरियों तक सीमित कर दिया जाता है। हिन्दी के राजभाषा बनने से हिन्दी वालों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा लाभ मिलेगा और दूसरी भारतीय भाषा भाषियों को कम। यही विवाद भाषा नीति को निर्धारित करता रहा है। इस विषय में डा० जोगेन्द्र सिंह ने कहा है कि

‘आज हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं के मध्य सम्पर्क भाषा के रूप में गतिशील है। अर्थात् लिंक लैंग्वेज का कार्य रही है। यह आश्चर्य का विषय है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जिस भाषा नीति की कल्पना राष्ट्रीय अस्मिता, विचार और संस्कृति की स्वतन्त्रता, सृजनशील शिक्षा और लोकतन्त्र को उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होकर की थी, उसे मात्र विरोधी करारकर ताक पर रख दिया गया है। लेकिन स्वतन्त्र भारत में रोजगार के अवसर अंग्रेजी से नहीं, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग से ही उपलब्ध होंगे।’

जहाँ तक साहित्यिक समृद्धि का प्रश्न है तो सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य समृद्ध है। रचनात्मकता के स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं ने श्रेष्ठ साहित्य दिया है। अन्य भाषा में उतनी सृजनात्मकता की क्षमता नहीं हो सकती जितनी कि अपनी भाषा में होती है।

यदि अपने देश की भाषाओं में अपने देश का शासन चलेगा तो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की सृजनशील शक्तियों का विकास होगा और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जीवित भाषा वही है जिसमें जनता की धड़कन और प्राण हैं, परिवर्तनशीलता या विकासशीलता है। अपने लिखने वालों तथा बोलने वालों को प्रतिबिम्बित करती है। जिसकी जड़ें जनता से सम्पर्क तोड़ देती हैं, तो वह अपनी जीवन शक्ति भी खो देती है। जीवन ऊर्जा तथा खुशी में पूर्ण होने की जगह कृत्रिम में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विचारों की समानता है। अत: एक भाषा का विकास दूसरी भाषा में सहायक होता है।

अर्न्तप्रान्तीय सम्पर्क की भाषा के रूप में हिन्दी को अकस्मात् ही नहीं चुना गया है बल्कि इसकी अपनी पृष्ठभूमि है। यथा

19वीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द, केशव चन्द्र सेन, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान समाज सुधारकों ने इसे समस्त भारत के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में चुना था। सभी हिन्दीतर भाषी थे।

आचार्य नरेन्द्र देव ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के बाद भाषण हिन्दी में दिए जाते थे। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए वे कलकत्ता सम्मेलन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि—

'विपिन चन्द्र पाल बहुत फर्राटे से हिन्दी बोलते थे किन्तु तिलक को हिन्दी बोलने में कठिनाई होती थी लेकिन वे हिन्दी में ही बातें किया करते थे।'

आगे चलकर महात्मा गांधी ने हिन्दी प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय आन्दोलन का एक हिस्सा बना दिया। जिसके परिणामस्वरूप देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना व्याप्त हो गयी। उस समय उनके सामने यह सच्चाई थी कि अंग्रेजी के माध्यम से वे केवल कुछ प्रतिशत तक ही पहुंच पायेंगे जबकि हिन्दी के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनका विचार था कि अंग्रेजी मानसिक गुलामी की भाषा है और मानसिक गुलामी से मुक्ति हासिल किए बिना हम सही अर्थों में आजाद नहीं हो सकते हैं।

प्रत्येक भाषिक क्षेत्र में अपने अतीत की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हुए भी उस देश की वृहत्तर इकाई का हिस्सा मानता रहा है। अनेक भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भारतीय साहित्य एक है। उसकी संस्कृति एवं उसकी जमीं एक है। साहित्य भाषा पर टिका होता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे भारतीय साहित्य में कुछ समान विशेषतायें अपनी भारतीयता प्रदर्शित करती हैं। हमें यह सोचने को बाध्य करती हैं कि भारतीय साहित्य एक है। उसकी चिन्तनधारा एक है। उसका मूल आम स्थान है। एक ही प्रकार का दार्शनिक चिन्तन, सामान्य नैतिक मानदण्ड और कलात्मक मानदण्ड के कारण इस देश में दृष्टिकोण की एकता है जो एकता के सूत्र में सभी बांधे रखती है।

आजादी के पश्चात् समाज में एक ऐसा वर्ग बना जिसके सबसे पहले टूटने और अहिन्दी क्षेत्र के बिछड़ जाने का डर खड़ा किया जिससे डरे कुछ लोग अपनी भाषाओं की कीमत पर भी अंग्रेजी को बनाए रखने की मांग करने लगे। उन्होंने ऐसे त्रिभाषा सूत्र की खोज की जिस लागू करना नितान्त असम्भव था क्योंकि वह वैज्ञानिक सोच के सारे सिद्धान्तों के खिलाफ था। तमिलनाडु में द्रविण मुन्नेत्र कड़गम के जो नेता परम्परागत प्रमुख वर्गों के खिलाफ लड़ रहे थे वे उन्हीं वर्गों का हित चाहने वाली अंग्रेजी भाषा की मांग करने लगे और अपनी जन भाषा तमिल की उपेक्षा करने लगे।

इस प्रकार अंग्रेजी भाषा देश की जनता को आम और खास दो हिस्सों में बांटती है। खास लोगों के लिए सारी समृद्धि को सुरक्षित करती है। यह देश की एकता के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है। अत: एक तरफ भयानक गरीबी और दूसरी तरफ अति समृद्धि यह विषमता देश की सबसे बड़ी शत्रु है।

हिन्दी और भारतीय भाषाओं को यह असमानता मिलने से यह अन्तर समाप्त हो सकता है। शासक वर्ग और जन साधारण की भाषा एक होने से जनता का विकास तीव्र गति विधियों में अधिक सहयोग मिल सकता है। जिस तरह स्वतन्त्रता आन्दोलन में अधिक जन भाषाओं के प्रयोग से अपना जन शक्ति जो सुप्त थी, मुक्त होकर देश के उत्थान के लिए उपलब्ध हुई थी। उसी तरह आज भी सुप्त जन शक्ति का उपयोग, उत्पादन और विकास के कार्यों में किया जा सकता है। तब उन लाखों करोड़ों युवक युवतियों को रोजगार मिल सकेगा जिनकी जिन्दगी आज बेरोजगारी के कारण नरक तुल्य हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त अब जनता और सरकार की भाषा एक होती तो सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकेगा। क्योंकि अफसरों के कामों पर जनता की सीधी निगरानी रहेगी एवं वे एक अमूल्य भाषा की आड़ में मनमानी नहीं कर पायेंगे। जो बच्चे इस समय विदेशी भाषा के आतंक के कारण उचित शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं अथवा शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं वे भी पढ़ लिख कर देश के विकास में सहयोग एवं योगदान कर सकेंगे।

इस प्रकार हिन्दी के साथ समस्त भारतीय भाषाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। भारतीय भाषाओं के साथ भारतीय संस्कृति का भविष्य भी। अत: भाषा एवं संस्कृति का अपूर्व सम्बन्ध होता है। विदेशी भाषा के चलते पिछले वर्षों में इस देश में विदेशी संस्कृति की बाढ़ सी आ गयी और उससे हमारे जड़ें उखड़ी। अत: तब तक हम उस बाढ़ को नहीं रोक सकते जब तक कि हम विदेशी भाषा से पीछा नहीं छुड़ाते, तब तक हम अपनी समृद्ध लोक संस्कृति को नहीं बचा सकेंगे।

संविधान के अनुसार आज भारत की राज भाषा हिन्दी है एवं अंग्रेजी भाषा केवल मात्र सहायक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। आज कई कारणों से हिन्दी को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना उसे मिलना चाहिए था। फिर भी किसी न किसी दिन हिन्दी का राजभाषा बनना तय है। इसलिए हिन्दी के लिए यह आवश्यक है कि विकसित एवं समृद्ध अंग्रेजी भाषा के स्थान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली इस अंग्रेजी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को अर्जित करे।

भारत के विविध रूपों के आधार पर भारतीय प्रान्तों का विभाजन हुआ है। संविधान की अष्टम् सूची के आधार पर हिन्दी के अतिरिक्त जिन भाषाओं का उल्लेख हुआ है वे निम्नवत् हैं

असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत एवं हिन्दी।

असमिया असम प्रान्त की भाषा है। असमिया संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह भाषाओं में से एक है। इसका विकास संस्कृत से हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग के युग में यहां जन भााषा का रूप मध्य देश के अनुरूप था। सम्प्रति इस भाषा पर तिब्बती, चीनी एवं परिवार का प्रभाव पड़ा है। परन्तु यह मूलत: बंगाल के निकट है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा है।

इस भाषा का विकास प्रकृति के सुरम्य अंचल में हुआ जहां लोक नृत्यों एवं लोक गीतों की परम्परा रही है। इसी लिए इस भाषा में लोकगीत अधिक मिलते हैं। जबकि मानक साहित्य का विकास 13 वीं सदी से मिलता है। प्राचीन कवियों में माधवहेम, कदली, शंकरदेव एवं दामोदर आदि हैं। मध्यकाल में भक्ति और रीति ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। जबकि आधुनिक काल में लक्ष्मीनाथ बरूआ, रघुनाथ चौधरी, चन्द्रकुमार अग्रवाल, देवकान्त बरूआ, हेम बरूआ, नील मणि अतुलचन्द्र और ज्योतिष प्रसाद आदि है।

भारत की जिन भाषाओं का साहित्य अधुनातन विश्व के उत्कृष्टतम् साहित्य के समक्ष यदि रखा जा सकता है तो उसमें बंगला भाषा का प्रमुख स्थान है। बंगला बंगाल की भाषा है। इसके दो रूप हैं पश्चिमी बंगला जो भारत में बोली जाती है और पूर्वी बंगला जो आधुनिक बंगला की भाषा है। बंगला भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसका विकास मागधी से हुआ है। बंगला भाषा भाषियों की गणना लगभग सात करोड़ पचास लाख है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

- अग्निहोत्री, रवीन्द्र (2009) आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएँ और समाधान. जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- तिवारी, भोलानाथ. भाषा विज्ञान कोश, वाराणासी: ज्ञानमण्डल लिमिटेड, पृ. सं. 456 व 457
- महर्षि, ओमप्रकाश (2010) वाल्मीकि रामायण में वर्णित शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन. पृ.सं. 103
- विद्या भारती प्रदीपिका (जुलाई–सितम्बर 2015), नई दिल्ली: प्रज्ञा सदन, गो.ला.त्रे. सरस्वती बाल मन्दिर, पृ.सं. 7
- Journal of Educational & Psychological Research, Vol-1, No. 2, July – 2011.
- Journal of Research in Education & Society. Vol-2, No.1, April – 2011